

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

दीपक आनन्द,  
सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
बिहार कौशल विकास मिशन,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कुशल युवा कार्यक्रम के संचालक एजेंसी।

पटना, दिनांक:- 25/8/25

विषय:- कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केन्द्रों के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित संशोधित आदेश।

महाशय/महाशया,

राज्य में कुशल युवा कार्यक्रम के केन्द्रों का विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के क्रम में त्रुटियाँ पाये जाने पर केन्द्रों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर से आदेश निर्गत किये जाते हैं। पूर्व में पत्रांक BSDM/SDI-25/2016-748 के द्वारा कार्रवाई से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत की गयी थी। पूर्व में निर्गत आदेश को संशोधित कर एवं विसंगति को श्रेणीबद्ध करते हुए इसकी गंभीरता का क्रम निर्धारित कर निम्नलिखित निर्णय लिये गए हैं :-

1. विसंगति श्रेणी की गंभीरता का क्रम :-

- लाल (RED) सर्वाधिक गंभीर विसंगति ।
- पीला (YELLOW): मध्यम गंभीरता की विसंगति ।
- NA: इसे विसंगति नहीं माना जाएगा, बल्कि सुधार हेतु सुझाव (अच्छा होने योग्य सुविधा) के रूप में गिना जाएगा।
- हरा (GREEN) कोई विसंगति नहीं पाई गई।

2. किसी भी निरीक्षण में केंद्र का रंग निर्धारण :-

किसी भी केंद्र के निरीक्षण में उसका रंग उसी सर्वाधिक गंभीर विसंगति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो निरीक्षण के क्रम में पाई गई हो।

उदाहरण - यदि किसी केंद्र पर 4 पीली श्रेणी की विसंगतियाँ और 1 लाल श्रेणी की विसंगति पाई जाती है तो उस निरीक्षण के लिए केंद्र का रंग लाल दर्शाया जाएगा।

**“लाल (RED)” श्रेणी में चिह्नित केंद्र**

जो भी केंद्र “लाल (RED)” श्रेणी में चिह्नित होंगे, उन पर बीएसडीएम (BSDM) की ओर से तुरत (रिपोर्ट प्राप्ति के 2 कार्य दिवसों के भीतर) स्पष्टीकरण नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया जाएगा। इसकी प्रति बीएसडीएम अधिकारियों, संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी (DEO), एसपीएमयू (SPMU) और जिला कौशल प्रबंधक (DSM) को भी भेजी जाएगी। साथ ही ऐसे केंद्रों में नए बैच के नामांकन/प्रवेश पर तुरत रोक दी जाएगी (जहाँ लागू हो)।

- a. केन्द्र से प्राप्त जवाब के आलोक में BSDM द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
- b. दंडात्मक कार्रवाई (Penal Action)



1. धोखाधड़ी / प्रतियोगिता (Fraudulent Practices/Impersonation) :-

- प्रशिक्षण केंद्र का नामांकन (Enrolment) अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और केंद्र को स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

- यदि 7 दिनों के अंदर उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो केंद्र को स्थायी रूप से निरस्त (Permanently Cancelled) कर दिया जाएगा।

2. सीसीटीवी फुटेज / बिना सूचना केंद्र का बंद होना (CCTV Footage/Center Closed Without Information) :-

- प्रशिक्षण केंद्र को स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
- तय समय-सीमा के अंदर उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो केंद्र के इनवॉइस (Invoice) से 30% कटौती की जाएगी।

**“पीले (YELLOW)” श्रेणी में चिह्नित केंद्र**

सभी केंद्र जो “पीले (YELLOW)” श्रेणी में आते हैं, उन्हें निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों (Discrepancies) की सूचना बीएसडीएम (BSDM) द्वारा भेजी जाएगी। इसकी प्रति बीएसडीएम अधिकारियों, संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी (DEO), एसपीएमयू (SPMU) तथा जिला कौशल प्रबंधक (DSM) को भी भेजी जाएगी। केंद्र को 7 दिनों के अंदर अनुपालन (compliance) सुनिश्चित करना होगा।

- यदि अगले माह के निरीक्षण में केंद्र पुनः “पीले (YELLOW)” श्रेणी में पाया जाता है, तो पुनः सूचना जारी की जाएगी। इसमें उस माह की विसंगतियों के साथ यह भी उल्लेख होगा कि केंद्र पिछले निरीक्षण में भी “पीले” श्रेणी में था। इसकी प्रति बीएसडीएम अधिकारियों, संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी, एसपीएमयू तथा जिला कौशल प्रबंधक को भेजी जाएगी।
- यदि उसके अगले माह में भी केंद्र “पीले (YELLOW)” श्रेणी में पाया जाता है (अर्थात् लगातार 3 निरीक्षणों में पीली श्रेणी), तो BSDM की ओर से स्पष्टीकरण नोटिस (Show-Cause Notice) जारी किया जाएगा। इसकी प्रति बीएसडीएम अधिकारियों, संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी, एसपीएमयू तथा जिला कौशल प्रबंधक को भेजी जाएगी।
- यदि समय सीमा के अंदर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो उस केंद्र पर 30% दण्ड (penalty) लगाया जाएगा। यह दण्ड उन सभी महीनों के बिल (invoice) पर लागू होगा जिनमें केंद्र “पीली” श्रेणी में पाया गया था। यदि ऐसे किसी बिल का भुगतान पहले ही हो चुका है, तो उतनी राशि को अगले देय बिल से समायोजित किया जाएगा।
- यदि किसी केंद्र को मूल्यांकन अवधि / संबंधित वर्ष (इस प्रक्रिया की अधिसूचना तिथि से) में कम से कम 50% महीनों में “पीली (YELLOW)” श्रेणी में पाया जाता है, तो ऐसे केंद्र अगले नवीनीकरण (renewal cycle) के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

विश्वासभाजन

दीपक आनन्द

सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
बिहार कौशल विकास मिशन।  
बिहार, पटना।